The following priorities were laid down while considering the applications—

(1) Public Sector corporation,

(2) Cooperative societies,

(3) Small and medium size fishermen organisations and individuals, and

(4) Large size industrial units including big houses

While considering the economic viability of a project due consideration was given to the fact whether there was idle processing capacity which should be matched by allotment of trawlers and inadequate number of fishing vessels which would need strengthening of the fleet in order to become a viable unit

The question of further imports of trawlers is under the consideration of the Government

Foreign exchange required for the import of trawlers already cleared is about Rs 40 crores

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कटरा करीम खां पहाड़गंज के वासियों का पुनर्वास

1094 श्री यादवेन्द्र दत्त क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग ने 1976 मे 7523 कटरा करीम खा, पहाडगज दिल्ली के कितने वासियो को वहा से उठा कर पुन बसाया ,

(ख) उनमे से कितनी परिवार अनुसूचित जाति के थे और कितने अल्पसंख्यक थे ;

(ग) क्या उन सभी परिवारो को दिल्ली के किसी भाग मे बसा दिया गया है और कितने परिवारो को अब तक नही बसाया गया ,

(घ) उठाये गए परिवारो द्वारा आवटन के लिए दिए गए आवेदन-पत्र आयुक्त (स्लम) के कार्यालय मे विचाराधीन है और क्या इन आवेदन पत्रो का निपटान किया जाएगा और आज तक किस किस आधार पर आवेदन पत्र रद्द किए गए है और कितने आवेदन पत्र रद्द किए गए है , और

(ड) उठाये गए परिवारो को मकान दिये जाने सबधी नियमो का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और पूर्ति और आवास तथा पुनर्वास मत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) 43 परिवार।

(ख) अनसूचित जातियो तथा अल्प सख्यक समदाय के परिवारो की सख्या जानने के लिये कोई सर्वेक्षण नही किया गया था।

(ग) सभी परिवारो को पुन बसा दिया गया है।

(घ) 1977 मे तीन परिवारो ने बडे परिवार होने के कारण अतिरिक्त टेनामेन्टो के आवटन के लिए आवेदन किया था टेनामिन्टो की कमी होने के कारण उनके अनुरोध को मजूर नही किया जा सका।

(ड) नियमो की एक प्रतिलिपि सलग्न है।

विवरण

गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना के अन्तर्गत टेनामेन्टों के आबटन हेतु नियम

1 स्लम टेनामेन्टो के आबटन केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जो कि ऐसी

म्यूनिसिपल सम्पत्ति के वैध आबंटी हो अथवा निजी सम्पत्ति जिनके दखल मे रही हो, जिसका गन्दी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार अथवा पुनर्विकास उद्देश्यो के लिए भूमि अर्जन किया गया हो और वह ऐसे क्षेत्र मे स्थित है जो गन्दी बस्ती क्षेत्र घोषित किया गया हो।

2 ऐसी म्युनिसिपल सम्पत्ति, जो गन्दी बस्ती क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, जो या तो रहने के लिए खतरनाक घोषित की गई है अथवा गन्दी बस्ती उन्मूलन अथवा पुनर्विकास योजना मे प्रभावित हो, का दखलकार (जो कि एक वैध टेनामेन्ट नहीं है) निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर स्लम टेनामेन्टो के आवटन का पात्र होगा –

(क) यदि वह जनवरी 1961 से पहले की तारीख म ऐसी प्रभावित इमारत का दखलकार रहा हो तो उसमे पहले दखलकार से प्राप्त रिकार्ड के आधार पर उसके दखल मे लेने की तिथि से इस इमारत का अनुमानित किराये का 25% मासिक किराया देना पड़ेगा। निगम मे इमारत के निगम को हस्तान्तरण करने की तिथि से सभी बाकी किराया, पहले अदा की गई राशि को घटाकर, भी उसे अदा करना पड़ेगा।

(ख) यदि वह 31-12-1966 से पहले से ऐसी प्रभावित इमारत का दखलकार रहा हो तो इमारत का कब्जा लेने की तिथि से उसे मूल/अनुमानित किराये का दुगना लाइसेंस फीस के साथ साथ निगम से इमारत के हस्तान्तरण की तिथि से बकाया किराया, पहले अदा की गई राशि को घटाकर, देना पड़ेगा।

(ग) यदि वह 27-8-1971 से पहले से ऐसी प्रभावित इमारत का दखलकार रहा है तो उसे इमारत का कब्जा लेने की तिथि से मूल/अनुमानित किराये की तिगुनी लाइसेंस फीस के साथ साथ निगम के इमारत के हस्तान्तरण की तिथि से बकाया किराया, पहले अदा की गई राशि को घटाकर, देना पड़ेगा।

3 जो मस्जिदे/धार्मिक इमारते रिहायशी उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जा रही हो तथा गन्दी बस्ती क्षेत्र में आती हो, उनके दखलकार भी स्लम टेनामेन्टों के आवटन के पात्र होगे बशर्ते कि वे लिखित प्रमाण प्रस्तुत करे कि वे 27-8-1971 से पहले की तिथि से विशेष मस्जिद/धार्मिक इमारत के विशेष दखलकार रहे है।

4 पुनर्विकास योजना के अधीन आने वाले निजी सम्पत्तियों के ऐसे अन्य दखलकारो को जिन्हे पुनर्विकास योजना के ले-आउट मे रिहायशी मकानो की कम संख्या होने के कारण उस स्थल पर पुन नही बसाया जा सकता।

5 5 से अधिक सदस्य वाले परिवारो मे प्रत्येक मूल परिवार इकाई निम्नलिखित शर्तों के अनुसार पृथक टेनामेन्टो के आवटन के लिए पात्र होगा :—

(क) पैरा 2(ख), तथा (ग) मे निर्धारित सभी शर्ते पूरी करता हो।

(ख) प्रत्येक परिवार की इकाई मे कम से कम एक कमाने वाला व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जिसकी रोजी के अपना पृथक साधन हो।

टिप्पणी — एक इकाई मे एक विवाहित दम्पत्ति (या कोई व्यक्ति) अथवा 21 वर्ष की आयु या अविवाहित तथा विधवा के मामले मे 21 से अधिक आयु, आश्रित पुत्र/पुत्रिया, सौतेले पुत्र या सौतेली पुत्रिया और/अथवा कोई अन्य सगा सम्बन्धी अथवा विवाह मे सम्बन्धी होने पर सिवाय न्यायालय की डिक्री द्वारा पृथक हुए दम्पत्ति को छोड़कर, रोजी के स्वतन्त्र साधनो के बगैर बूढे मा बाप के मूल परिवार की इकाई माना जाएगा।

6. (क) यदि आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य का दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत अपना कोई रिहायशी मकान या प्लाट है तो वह स्लम टेनामेन्टों के आवटन का पात्र नहीं होगा चाहे वह अन्य शर्तें पूरी क्यों न करता हो।

(ख) प्रत्येक आवेदक को निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरना होगा तथा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित दो रुपये के स्टाम्प पेपर पर इस बारे मे हल्फ नामा देना होगा कि आवेदक का, या उस/उसकी अपने नाम मे अथवा पति या पत्नी या अवयस्क बच्चे या परिवार के किसी अन्य आश्रित सदस्य के नाम मे दिल्ली संघ राज्य की सीमा के भीतर अपना कोई रिहायशी मकान या प्लाट नहीं है।

7. स्लम टेनामेन्टों के आवटन के लिए पात्र व्यक्तियों को कम किराया (सब्सी-डाइज्ड रेन्ट) देना होगा यदि आवटन के समय उनकी मासिक आमदनी सभी साधनों को मिला कर 350 रुपये से कम है। जिन व्यक्तियों की आवटन के समय मासिक आमदनी 350 रुपये अथवा इससे अधिक है, उन्हे आर्थिक किराया देना होगा।

8. आवटियों को (1) परिवार के सभी सदस्यों के नाम के साथ उनके फोटो-ग्राफ के साथ पहचान पत्र भरना होगा (2) दो महीने का स्टाम्प प्रभार किराया, धरोहर राशि आदि अग्रिम के रूप मे देना होगा। (3) किराये के अतिरिक्त निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर मासिक पानी तथा सफाई प्रभार देना होगा। (4) किसी स्लम टेनामेन्ट मे निगम द्वारा यदि कोई परिवर्धन अथवा परिवर्तन किया हो तो उसका बढाया गया अथवा पुनरीक्षित किराया देना होगा।

9. आवटियों द्वारा हर मास का किराया प्रत्येक कलैण्डर मास की 10 तारीख या इससे पहले अग्रिम के रूप मे देना होगा। आवंटन के समय लिया गया किराया अनन्तिम है तथा अन्तिम लेखा को समेकित करने के पश्चात् अथवा भूमि के मुआवजे की कीमत मे तत्पश्चात् वृद्धि इत्यादि के आधार पर बढाया जा सकता है।

10. आवटियों का आवटन रद्द किया जा सकता है तथा उन्हे बेदखल किया जा सकता है यदि वह —

(क) निर्धारित तिथि के अन्दर किराया तथा अन्य देय राशि का भुगतान नहीं करता,

(ख) टेनामेन्टों का या उसके किसी भाग को उप किरायेदारी पर देता है

(ग) टेनामेन्ट या उसके किसी भाग के अधिपत्य का बटवारा करता है

(घ) अपनी रिहायश अथवा अपने परिवार को रिहायश जैसा कि नियम 4 मे परि-भाषित है के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग मे लाता है,

(ङ) इससे संबंधित भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति देता है अथवा कोई अनधिकृत निर्माण करता है,

(च) उपर्युक्त नियमो मे से किस नियम अथवा इस विषय पर समय समय पर बनाये गए नियम का उल्लंघन करता है।

दिल्ली दुग्ध योजना का दुग्धचूर्ण

1095 **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना ने कितना दुग्धचूर्ण मानव उपयोग के लिए बेकार घोषित किया गया और इसके क्या कारण हैं?